ऑनलाइन साक्षात्कार पत्र के निर्देशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन कर व उन्हें भली-भांति समझने के पश्चात आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का प्रिंट निकालकर आवश्यक जानकारियों की प्रविष्टि कर साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें।

प्रावधिक-पत्र विज्ञापन की शर्तों के अधीन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर -492001

फोन नं. -0771-2439562, 2446556 (फैक्स), वेबसाइट-www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 4862 /01/चयन/2020 दिनांक 10 FEB 2021

<u>साक्षात्कार-पत्र</u>

सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान एवं सहायक प्राध्यापक गणित (उच्च शिक्षा विभाग)

महोदय/महोदया,

सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग) के साक्षात्कार हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन साक्षात्कार तिथि के एक दिन पूर्व निर्धारित पाली **प्रथम पाली**-पूर्वान्ह 09.00 बजे से 12.00 बजे तक तथा **द्वितीय पाली**- अपरान्ह 01.00 बजे से 05.00 बजे तक किया जाकर निर्धारित तिथि को साक्षात्कार लिया जायेगा। दस्तावेजों के सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यथियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

2. साक्षात्कार के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि/समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थिति देवें।

2.1 सफलतापूर्वक ऑनलॉइन साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन-पत्र (03 प्रति में) **(तीनों प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है।)** (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में) डाऊनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुप्रमाणन पत्र एवं जानकारी पत्रक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तथा इसमें त्रुटिपूर्ण/गलत जानकारी दिये जाने पर आपकी उम्मीद्वारी निरस्त की जा सकती है।

2.2 अनुप्रमाणन पत्रक के पहचान प्रमाण पत्र कॉलम में किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन (तीनों प्रतियों में) कराया जाना अनिवार्य है। **(अनुप्रमाणन पत्रक की छायाप्रति स्वीकार नहीं किया जायेगा)** अतः राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराकर ही अनुप्रमाणन पत्रक की हार्डकॉपी तीन मूल प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।

2.3 **सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग)** के पद के लिए आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन क्रमांक 02/2019/परीक्षा/दिनांक 18.01.2019 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 23.01.2019 **के अनुसार आवश्यक शैक्षणिक अर्हता- <u>विज्ञापिन की कंडिका (iv)-(क), (ख), (ग) एवं (घ) अनुसार होना अनिवार्य है</u>। यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंकसूची (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) दस्तावेज आयोग द्वारा समय-समय पर जारी शुद्धि पत्र एवं सूचना पत्रों में दर्शित अंतिम तिथि तक का मान्य होगा। उक्त तिथि के बाद के अंकसूची/उपाधि/प्रमाण पत्र/नवीन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगें। इस संबंध में अंकसूची/उपाधि प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा दो-दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।**

2.4 **यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, तो आवेदक को साक्षात्कार के लिये उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश शासन के समय जारी किये गये प्रमाण पत्र का राज्य गठन के पश्चात पुनर्वैधिकृत प्रमाण पत्र अथवा राज्य गठन के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।**

2.5 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तो राज्य गठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किये गये अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, परन्तु यदि आप एकीकृत मध्य प्रदेश के समय का छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के अधीन जिले/अनुविभाग के द्वारा जारी किया गया "जाति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करते हैं तो उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को "गैर क्रीमीलेयर" में आने के संबंध में "आय प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा तभी राज्य गठन के पूर्व जारी "जाति प्रमाण पत्र" (उल्लेखित अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) मान्य होगा। उल्लेखित अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।

2.6 छ.ग. राज्य के गठन के पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर छ.ग. शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यदि यह जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन में दर्शित अंतिम तिथि के 3 वर्ष पूर्व का हो, तो उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को गैर क्रीमीलेयर में आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.7 यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय/नीजि प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं तो नियोक्ता /सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

2.8 यदि आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पश्चात् आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ हो तो उपनाम परिवर्तन का शपथपत्र की दो–दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

2.9 जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं दो–दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।

2.10 यदि आप निःशक्तजन हैं तो शारीरिक विकलांगता 40 प्रतिशत् या उससे अधिक हो तो चिकित्सा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो–दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति। छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन ही मान्य होंगे।

2.11 यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी हैं तथा आपने विज्ञापन में दर्शित अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट क्लेम किया है तो छूट क्लेम किये जाने से संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं दो–दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।

2.12 आपके द्वारा **सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग)** के लिए ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र की हॉर्ड कॉपी (प्रिंटआऊट) की प्रति के साथ–साथ पहचान–पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड या पेन कार्ड इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं दो–दो छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3. **यदि आप उपरोक्तानुसार जानकारी (जो लागू होता हैं) के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं, के निर्धारण करने का अधिकार आयोग का होगा एवं इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।**

4. साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय स्वयं अभ्यर्थी के द्वारा वहन की जाएगी, परन्तु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के केवल बेरोजगार **अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बस/रेल टिकट प्रस्तुत किये जाने पर साधारण दर्जे का वास्तविक किराया राशि की पात्रता होगी।**

5. विशेष टीप :– उपर्युक्त के अतिरिक्त आपको साक्षात्कार के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जॉच के समय निम्नानुसार अभिलेख (साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से बुलाये जाने के फलस्वरूप), प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उपर्युक्त विषय पद हेतु आपकी उम्मीद्वारी आयोग द्वारा निरस्त की जा सकेगी।

6.1 **साक्षात्कार के पूर्व विज्ञापन के अनुसार निर्धारित अर्हता, आयु सीमा छूट क्लेम किया हो तो तत्संबंध में दस्तावेज, आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन हो तो निर्देश पैरा 2.3, 2.4 2.5 एवं 2.6 के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अभाव में आपको साक्षात्कार के लिए अनर्ह कर दिया जाएगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।**

6.2 शैक्षणिक अर्हता से संबंधित अंक सूची (सभी वर्षो के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो–दो प्रति छायाप्रति प्रस्तुत करें।

6.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा।

6.4 विज्ञापन की कंडिका 4 के अनुसार आयु की गणना 01/01/2019 से की जायेगी।

6.5 दस्तावेज सत्यापन के समय **सहायक प्राध्यापक (उच्च शिक्षा विभाग)** के लिए ऑनलाइन आवेदन की दो प्रति जमा करना अनिवार्य है।

6.6 सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियाँ एवं दो–दो छायाप्रतियाँ सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है, मूल प्रमाण पत्र के अभाव में प्रस्तुत करने के लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा तथा अभ्यर्थियों से कोई वचन पत्र/अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6.7 नोवेल कोराना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु आयोग कार्यालय परिसर में केवल अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य के लिए प्रवेश निषेध है। अभ्यर्थियों को फेसमास्क लगाना एवं हेंड सेनेटाईजर रखना अनिवार्य है, जो अभ्यर्थी फेसमास्क एवं हेंड सेनेटाईजर के बिना साक्षात्कार हेतु उपस्थित होगा उन्हें साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10.2.2021

परीक्षा नियंत्रक
छ.ग. लोक सेवा आयोग
रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

साक्षात्कार समय–सारिणी

सहायक प्राध्यापक परीक्षा–2019

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 1:00 बजे से)
गृह विज्ञान			
01-03-2021	02-03-2021	190205100002	
		190205100004	
		190205100006	
		190205100008	
		190205100010	
		190205100017	
		190205100023	
		190205100025	
		190205100026	
		190205100027	
		190205100029	
		190205100030	
		190205100037	
		190205100038	
		190205100051	
		190205100057	
		190205100082	
		190205100123	
		190205100126	
		190205100131	
		190205100139	
		190205100150	
		190205100167	
		190205100180	
		190205100187	
		190205100202	

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

साक्षात्कार समय–सारिणी

सहायक प्राध्यापक परीक्षा–2019

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 1:00 बजे से)
गणित			
01-03-2021	02-03-2021		190208100002
			190208100007
			190208100008
			190208100009
			190208100012
			190208100013
			190208100020
			190208100022
			190208100026
			190208100030
			190208100032
			190208100039
			190208100046
			190208100048
			190208100053
			190208100055
			190208100056
			190208100059
			190208100069
			190208100070
			190208100074
			190208100075
			190208100078
			190208100079
			190208100080
			190208100087
			190208100088
			190208100091
			190208100094
			190208100096

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

साक्षात्कार समय–सारिणी

सहायक प्राध्यापक परीक्षा–2019

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 1:00 बजे से)
02-03-2021	03-03-2021	190208100102	190208100480
		190208100103	190208100485
		190208100113	190208100526
		190208100117	190208100529
		190208100118	190208100541
		190208100121	190208100548
		190208100122	190208100558
		190208100127	190208100567
		190208100128	190208100573
		190208100133	190208100594
		190208100134	190208100595
		190208100136	190208100618
		190208100139	190208100645
		190208100145	190208100650
		190208100147	190208100693
		190208100153	190208100697
		190208100180	190208100701
		190208100205	190208100716
		190208100231	190208100724
		190208100253	190208100734
		190208100266	190208100741
		190208100315	190208100747
		190208100316	190208100752
		190208100358	190208100757
		190208100383	190208100787
		190208100387	190208100796
		190208100398	190208100798
		190208100446	190208100804
		190208100451	190208100917
		190208100461	190208100927

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

साक्षात्कार समय–सारिणी

सहायक प्राध्यापक परीक्षा–2019

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	साक्षात्कार दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 1:00 बजे से)
03-03-2021	04-03-2021	190208100945	190208101312
		190208100954	190208101324
		190208100957	190208101326
		190208100960	190208101329
		190208100980	190208101340
		190208100987	190208101344
		190208101026	190208101346
		190208101032	
		190208101045	
		190208101047	
		190208101103	
		190208101132	
		190208101142	
		190208101153	
		190208101161	
		190208101183	
		190208101187	
		190208101188	
		190208101194	
		190208101213	
		190208101215	
		190208101249	
		190208101255	
		190208101270	
		190208101297	
		190208101303	
		190208101304	
		190208101306	
		190208101307	
		190208101309	

टीप :– आयोग द्वारा साक्षात्कार बुलावा पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थी साक्षात्कार बुलावा पत्र एवं संलग्न दस्तावेज आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते है।

10.2.2021

परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर